कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.भूप्रआ / समु / आरआर / 11 / 2 / 3 / 09–10 /   जयपुर, दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी
सीकर

विषयः– तहसील डीडवाना जिला नागौर की बन्द की अधिसूचना भिजवाने बाबत।
संदर्भः– राजस्व (ग्रुप–1) विभाग का पत्रांक प.13(4)राज. / ग्रुप–1 / 2008 दिनांक 21.02.2017 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 21.02.2017 जारी कर तहसील डीडवाना, जिला नागौर के 32 ग्रामों की बन्द घोषित किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15 दिवस में राजस्व विभाग को संभलाकर सूचना भिजवावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प. / समसंख्यक / 1112   जयपुर, दिनांकः 11-5-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय, जयपुर को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. प्रभारी, डीआईएलआरएमपी प्रकोष्ठ, मुख्य कार्यालय, राजस्थान, जयपुर

अति. भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प0 13(4)राज.1/2008

जयपुर, दिनांक 21 FEB 2017

Sm.
23/3/17

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना, जिला नागौर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज–1/2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रमों में से 73 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण करवाया जाकर पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य को अधिसूचना दिनांक 17.06.2016 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से 32 ग्रामों (संलग्न सूची अनुसार) का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त 32 ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

संलग्न :– 32 ग्रामों की सूची।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
24 MAR 2017
क्रमांक 840

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009–10/3929 दिनांक 15.11.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

RR
27/3/2017

संयुक्त शासन सचिव

76
28/3/17

कार्यालय भू प्रबन्ध अधिकारी, सीकर

क्रमांक/फा/भूप्रअसी/समु/डिडवाना/ /2016/ 665

श्रीमान भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

दिनांकः– 6.10.20

विषयः – तहसील डीडवाना के 32 ग्रामों की भू–प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी प्रथम मु0 सीकर के पत्र क्रमांक 393 दिनांक 09.08.2016, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, द्वितीय मु0 सीकर के पत्र क्रमांक 394 दिनांक 09.08.2016, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, तीतृय मु0 सीकर के पत्र क्रमांक 395 दिनाक 09.08.2016 एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी चतुर्थ मु0 सीकर के पत्र क्रमांक 396 दिनाक 09.08.2016 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के अधीन सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सर्किल प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ मु0 सीकर के द्वारा 32 ग्रामों का बन्द के प्रस्ताव पर्चा वितरण/तस्दीक किये जाकर मिसल बन्दोबस्त तैयार करवायी जाकर उक्त ग्रामों का रेकार्ड, रेकार्ड शाखा में जमा करवाया जा चुका है, उक्त ग्रामों मे सिवायचक/चारागाह व अन्य भूमियों का अवैधानिक तौर पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है। अतः संलग्न सूची अनुसार बन्द के प्रस्ताव प्रेषित है।

क्र.स.	नाम ग्राम	तहसील	क्र.स.	नाम ग्राम	तहसील
1	थानू	डीडवाना	17	निम्बी खुर्द	डीडवाना
2	आस की ढाणी	डीडवाना	18	खातीया बासनी	डीडवाना
3	ढेहर का बास	डीडवाना	19	विजयनगर	डीडवाना
4	चौलूखां	डीडवाना	20	नाथूसर	डीडवाना
5	दादू बासनी	डीडवाना	21	चारणों का बास	डीडवाना
6	ढ़ाकी की ढ़ाणी	डीडवाना	22	सिंगरावट खुर्द	डीडवाना
7	मण्डा बासनी	डीडवाना	23	अलखपुरा	डीडवाना
8	डाबगांव	डीडवाना	24	ढ़िगाल	डीडवाना
9	कुचैटियां	डीडवाना	25	कलवानी	डीडवाना
10	कैरपुरा	डीडवाना	26	फगोड़ियों की ढ़ाणी	डीडवाना
11	मुन्दलियों की ढ़ाणी	डीडवाना	27	बैमोठ खालसा	डीडवाना
12	गदरेजा बासनी	डीडवाना	28	भामासी	डीडवाना
13	किशनपुरा	डीडवाना	29	पाटन	डीडवाना
14	बगतपुरा	डीडवाना	30	राधोदास का बास	डीडवाना
15	गिरधारीपुरा	डीडवाना	31	खाखोली	डीडवाना
16	निम्बी कलां	डीडवाना	32	कीचक	डीडवाना

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
सीकर

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

21 FEB 2017

क्रमांक प0 13(4)राज.1/2008

जयपुर, दिनांक

Sm

23/3/17

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील डीडवाना, जिला नागौर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य जो अधिसूचना क्रमांक प0 13(4)राज–1/2008 दिनांक 28.05.2009 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 73 ग्रामों का अधिसूचना दिनांक 17.06.2016 द्वारा बन्द घोषित किये जा चुके है। शेष ग्रामों में से 32 ग्रामों (अधिसूचना 106 के साथ संलग्न सूची अनुसार) के अभिलेखो का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त 32 ग्रामों के अभिलेखो का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित करते हुए अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

पत्र–प्राप्ति
24 MAR 2017
क्रमांक 239

राज्यपाल की आज्ञा से

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, नागौर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/3/2009–10/3929 दिनांक 15.11.2016 के क्रम में।
4. अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR 27/3/2017

77
28/3/17